एक सामाजिक प्रयोग को समेटने पर

संक्षिप्त रपट

किशोर भारती

पो.बाक्स नं. 7, पिपरिया

जिला - होशंगाबाद

मध्यप्रदेश 461775

नवंबर 1991

प्रकाशनः नवंबर 1991

प्रकाशकः सचिव, कार्यकारिणी समिति
किशोर भारती
पो.बाक्स नं. 7, पिपरिया
जिला - होशंगाबाद
मध्यप्रदेश 461 775

मुद्रक : मॉडर्न प्रेस
महात्मा गांधी रोड
रायपुर - 492001

एक सामाजिक प्रयोग को समेटने पर

संक्षिप्त रपट

आपको शायद पता चल ही गया होगा कि विगत 3 - 4 वर्षों से होशंगाबाद जिले (म.प्र.) के पूर्वी छोर पर सन् 1972 से कार्यरत किशोर भारती संस्था में उसके समस्त कार्यक्रमों को बंद करने एवं उसके परिसर को राज्य शासन को लौटा देने की प्रक्रिया चल रही थी। आपको हम यह रपट इस प्रक्रिया को अपने निर्णायक बिंदु पर पहुंचा देने के बाद भेज रहे हैं। इस वर्ष 30 जनवरी को किशोर भारती कार्यकारिणी समिति द्वारा राज्य शासन को पूर्व में दिये गये लिखित आवेदनों पर कार्यवाही करते हुये कलेक्टर, होशंगाबाद ने संस्था के ग्राम पलिया पिपरिया में स्थित 148.29 एकड़ भूमि में फैले परिसर की समस्त अचल संपत्ती का विधिवत कब्जा ले लिया। इसी तारतम्य में अप्रेल 1991 में कलेक्टर ने सन् 1972 में किशोर भारती को शासकीय पट्टे पर दी गई उक्त भूमि का पट्टा भी निरस्त करके परिसर की पूरी देखभाल की जिम्मेदारी तहसीलदार, बनखेड़ी को सौंप दी। पिछले वर्ष 31 मार्च को पूर्व घोषित निर्णय के अनुसार संस्था ने अपने समस्त कार्यक्रम बंद कर दिये थे। उसी समय संस्था में कार्यरत लगभग 20 कार्यकर्ताओं को वैकल्पिक जीविका की व्यवस्था करने के लिये उनके सेवाकाल के प्रत्येक वर्ष के पीछे एक माह का वेतन एवं तीन माह का अतिरिक्त वेतन अनुग्रह राशि स्वरूप दिया गया।

किशोर भारती संस्था ने राज्य शासन को सौंपी गई अचल संपत्ति का विधिवत मूल्यांकन करवाके शासन से उसका न्यायोचित मुआवजा मांगा है। अनेक स्मरण पत्रों एवं संबंधित अधिकारियों से कई बार भेंट के बावजूद इस मसले पर शासन का उत्तर हमें आज तक नहीं मिला है।

निर्णय की पृष्ठभूमि

निःसंदेह किशोर भारती कार्यकारिणी समिति द्वारा इस संबंध में फरवरी 1989 में लिये गये औपचारिक निर्णय को क्रियान्वित करने का काम न तो इतना सरल था और न ही सुखद। कई ऊबड़-खाबड़ रास्तों से गुजर कर और विरोध-प्रतिरोध की अनेक खाइयों को पार करके ही यह निर्णय क्रियान्वित हो

सका है। वैसे तो किशोर भारती को समेट देने की बात सन् 1978-79 में ही शुरू हो गयी थी। परंतु हर बार हममें से ही कोई-न-कोई व्यक्ति, कुछ-न-कुछ नया तर्क देकर किशोर भारती के अस्तित्व को मध्यप्रदेश में सामाजिक परिवर्तन के लिये आवश्यक सिद्ध कर देता था और हमारे कार्यक्रमों की गाड़ी एक बार फिर से नये जोश के साथ आगे बढ़ जाती थी। संस्था का काम समेटने का यह प्रस्ताव बार - बार क्यों उठता रहा और हर बार निर्णय का रूप लेने के पहले ही क्यों वापिस ले लिया जाता था, इस बात को हम किसी भावी परचे का विषय जरूर बनायेंगे।

यहां इतना कहना ही यथेष्ट है कि जून 1987 की बैठक में इस मुद्दे पर स्पष्ट निर्णय लेने के इरादे से कार्यकारिणी समिति ने तत्कालीन कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व में जुड़े हुये कई अन्य साथियों को भी आमंत्रित किया था। इस व्यापक भागीदारी में एक लंबी बहस व अनेक मतभेदों के बाद यह बैठक संस्था की समस्त गतिविधियों को बंद कर देने एवं परिसर की भूमि शासन को लौटा देने के निर्णय पर पहुंच तो पायी, हालांकि विभिन्न साथियों ने इसके अलग-अलग आधार प्रस्तुत किये। ये आधार सारांश में इस प्रकार हैं-

1. किशोर भारती शिक्षा के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से शुरू की गयी थी। नाना प्रकार के प्रयोगों के बाद यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से नहीं, वरन् राजनैतिक आंदोलनों व संगठनों के माध्यम से होता है। इस प्रक्रिया में स्वैच्छिक संस्थाओं की भूमिका कुछ नये रास्ते खोजने और उत्प्रेरक की अवश्य हो सकती है, परंतु निर्धारक की नहीं। प्रगतिशील राजनैतिक आंदोलनों व संगठनों के अभाव में स्वैच्छिक संस्थाओं की इस सहयोगी भूमिका का दायरा इतना सिमट जाता है कि उनमें लगने वाली भारी-भरकम ऊर्जा और साधनों की सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है।

2. सामाजिक परिवर्तन के उद्देश्य से शिक्षा और आर्थिक विकास के जो भी प्रयोग कार्यकर्ता समूह करना चाहता था या कर सकता था, वे पहले 14 सालों में (1986 - 87 तक) किये जा चुके थे। उसके बाद कार्यक्रम या प्रकल्प केवल इसलिये उठाये जा रहे थे चूंकि उनका उठाना संस्था और कार्यकर्ताओं के अपने अस्तित्व को बनाये भर रखने के लिये जरूरी हो गया था।

3. पिछले कुछ वर्षों से कार्यक्रमों में दिशाहीनता झलक रही थी और समूह में ऐसा नेतृत्व नहीं था जो इस भ्रम की स्थिति को दूर करके स्पष्ट

दिशा दे सके।

4. नेतृत्व की कमजोरी एवं दिशाहीनता के कारण संस्था की स्थिति लुढ़कती-सी हो गई थी, हालांकि हममें से कई लोगों को यह स्वीकारने में बहुत मनोवैज्ञानिक दिक्कत आई। इसका साफ असर लोगों की कार्यकुशलता एवं स्वप्रेरणा पर दिखने लगा था। इसके कारण कार्यकर्ताओं के आपसी संबंधों को लेकर भी नाना प्रकार की उलझनें पैदा हो गई थीं और निरर्थक विवाद उभरने लगे थे।

5. कार्यक्रमों की कसौटी उनके सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति न होकर, क्रियाओं को मात्र चलाते रहना ही हो गयी थी।

बेशक, ऊपरोक्त अवलोकनों एवं तर्कों से जून 1987 की बैठक के सभी सहभागी सहमत नहीं थे। एक अल्पमत भी था (जो फरवरी 1989 के औपचारिक निर्णय तक कायम रहा) जिसके अनुसार किशोर भारती जैसी संस्थाओं का बने रहना ही सामाजिक परिवर्तन के लिये आवश्यक लग रहा था। ऊपरोक्त पांचों आधारों को लेकर समस्त गतिविधियां बंद करने व परिसर लौटाने का निर्णय सैद्धांतिक तौर पर लिया तो गया पर उसका क्रियान्वयन तीन वर्षों के लिये स्थगित कर दिया गया। ऐसा इसलिये करना पड़ा चूंकि कुछ कार्यकर्ताओं ने अपनी पहल पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) को तीन नये प्रकल्प अनुदान हेतु भेज दिये थे और वे उनको क्रियान्वित करने के लिये उत्सुक थे। कार्यकारिणी समिति ने अपनी परंपरानुसार कार्यकर्ताओं की इस इच्छा का आदर करते हुये परिसर समेटने के अपने निर्णय को तीन साल तक स्थगित रखने की घोषणा की।

अगले दो वर्षों (1987 - 89) के दरम्यान भी उक्त निर्णय को बदलकर संस्था के तत्वावधान में एक ग्रामीण विश्वविद्यालय (राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार) या एक स्कूल स्थापित करने के प्रस्ताव भी सामने आये। परंतु नेतृत्व अभाव, क्रियान्वयन का बीड़ा उठाने की तैयारी में कमी एवं विचारों की अस्पष्टता के कारण इन पर अमल करना संभव नहीं हो सका। सन् 1988 खत्म होते-होते एक ऐसी स्थिति भी बनी जब किशोर भारती का कोई भी वरिष्ठ कार्यकर्ता संस्था के संचालन या कार्यक्रमों को दिशा देने की भी जिम्मेदारी उठाने को तैयार न था। अतः फरवरी 1989 की बैठक में कार्यकारिणी समिति ने अपने दो वर्ष पुराने निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये हरी झंडी दे दी।* इसके बाद भी परिसर में ग्रामीण विश्वविद्यालय या स्कूल स्थापित

*इसके बावजूद यह स्पष्ट समझ थी कि परिसर समेटने की प्रक्रिया के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा स्वीकृत तीनों शैक्षिक प्रकल्पों को पूरा करने की जिम्मेदारी संस्था निभायेगी।

करने के प्रयास विभिन्न समूहों के द्वारा चालू रहे, परंतु कार्यकारिणी समिति द्वारा बार-बार दिये गये प्रोत्साहन एवं अवसरों के बावजूद वे ठोस रूप न ले सके।

सामग्री का वितरण

किशोर भारती संस्था ने अपने अट्ठारह वर्षों के कार्यकाल में जो संसाधन और चल संपत्ति जुटाई थी उसका क्या किया गया, इसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार है -

- परिसर में स्थित पुस्तकालय (फर्नीचर सहित), अक्टूबर 1990 में **मध्यप्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल** को सौंप दिया गया।
- परिसर में स्थित दस्तावेज केन्द्र, अक्टूबर 1990 में मध्यप्रदेश शासन की **प्रशासन अकादमी, भोपाल** को सौंपा गया।*
- शहीद भगतसिंह पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक केन्द्र, पिपरिया, अगस्त 1990 में **पिपरिया की नवचेतना समिति** को सौंपा गया जो पिपरिया में एक अच्छा हाईस्कूल चला रही है।
- बाल संदर्भ पुस्तकालय, जून 1991 में दो वर्ष के लिये **मध्यप्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल** को सौंपा गया। बच्चों के लिये कार्यशालायें करने व बाल साहित्य की रचना हेतु इसका उपयोग किया जायेगा।
- शेष पुस्तकें निम्नांकित संस्थाओं व स्कूलों को दी गई -
  - बनखेड़ी विकासखंड (जिला होशंगाबाद) के दो हाईस्कूल **(शा.उ.मा.शाला, बनखेड़ी व चांदौन)**;
  - पिपरिया शहर का एक प्रायवेट स्कूल (**ज्ञानोदय सोसायटी** का महेश कान्वेंट स्कूल);
  - **रूपांतर (रायपुर, म.प्र.)** - 'दिशा' ट्रस्ट (दिल्ली) का औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र;
  - **श्री सार्वजनिक पुस्तकालय, गाडरवाड़ा** (जिला नरसिंहपुर, म.प्र.), एवं
  - **एकलव्य, भोपाल** को उनके **पिपरिया फील्ड सेंटर** हेतु।

---

*हाल में दस्तावेज केन्द्र को प्रशासन अकादमी से नेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स एंड इन्वायरनमेंट, भोपाल को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

- शिक्षण साधन, अंग्रेजी से हिंदी में अनुदित चयनित शिक्षा साहित्य व बाल गतिविधियों से संबंधित अन्य सामग्री, **एकलव्य, भोपाल** को उनके **पिपरिया फील्ड सेंटर** हेतु दी गई।

- जीप (4-व्हील ड्राइव, 1988 मॉडल), **निर्माण (नई दिल्ली)** को **नर्मदा बचाओ आंदोलन** के उपयोग हेतु दी गई।

- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (भारत सरकार) से प्राप्त अनुदान में से खरीदी गई पूंजीगत सामग्री का वितरण इस प्रकार किया गया-

  - **मध्यप्रदेश विज्ञान सभा, भोपाल;**
  - **गांधी भवन, भोपाल ;**
  - **सेवा, भोपाल;**
  - अर्धशासकीय संस्था **नर्मदा निर्मिती, होशंगाबाद ;**
  - **नवचेतना समिति, पिपरिया;** और
  - बनखेड़ी एवं पिपरिया क्षेत्र के कुछ **शासकीय व निजी** स्कूल।

  (उक्त वितरण को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी औपचारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है।)

- किशोर भारती ने अपने स्रोतों (दान एवं विविध आय) से जुटाई गई चल संपत्ति पिपरिया व बनखेड़ी क्षेत्र के लोगों को बाजार मूल्य पर बेच दी है या अभी भी बेची जा रही है।

- कुछ सामग्री किशोर भारती के पिपरिया में जनवरी 1991 में स्थापित नये कार्यालय के लिये बचा ली गई है।

जमीन-जंगल का मामला

परिसर के लगभग 40 एकड़ में किशोर भारती संस्था द्वारा अपने स्रोतों से लगाये गये सामाजिक वन एवं 80 एकड़ जमीन के मामले पर कुछ कहना आवश्यक है। सन् 1981 में संस्था की पहल पर ग्राम पलिया पिपरिया के लगभग 80 भूमिहीन व अन्य गरीब परिवारों को संगठित करके एक मजदूर संगठन* बनाया गया था। संस्था ने इस संगठन के साथ अपने औपचारिकेतर (नॉन-फार्मल) शिक्षण एवं चेतना जागरण कार्यक्रम के तहत

*आज ग्राम पलिया पिपरिया का जो संगठन किसान मजदूर संगठन के नाम से जाना जाता है वह उस मजूदर संगठन से सर्वथा भिन्न है जो किशोर भारती की पहल पर सन् 1981 में शुरू हुआ था।

दो प्रक्रियाएं शुरू की थीं -

एक, लगभग 80 एकड़ जमीन के एक-एक एकड़ के भूखंड बनाकर इन पर उन परिवारों को खेती करने की अनुमति दी गई।

दो, संस्था द्वारा लगाये गये 40 एकड़ के सामाजिक वन के उत्पादन (लकड़ी, बाँस, लाख, घास आदि) को संगठन के सदस्यों को प्राथमिकता बतौर बाजार मूल्य से कुछ कम दर पर उपलब्ध कराया जाता रहा।

जब संस्था ने फरवरी 1989 में परिसर शासन को लौटाने का निर्णय लिया तो कार्यकारिणी समिति ने यह भी तय किया कि वह शासन से सहयोग लेकर इन भूखंडों का पट्टा उन पर खेती करने वाले परिवारों को निजी या सामूहिक तौर पर दिलवाने का प्रयास करेगी और संस्था के सामाजिक वन की शासकीय तंत्र में ऐसी व्यवस्था करवा देगी कि उसके उत्पादन का लाभ संगठन के सदस्यों को पूर्ववत् मिलता रहे। अगस्त 1989 में संगठन द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि इन भूखंडों का पट्टा उन्हें किसी सामूहिक व्यवस्था के तहत दिलवाया जाय, निजी तौर पर नहीं। उक्त प्रस्ताव के अनुसार संस्था ने शासन से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श शुरू कर सहकारिता के आधार पर पट्टा दिलवाने एवं जंगल की उचित व्यवस्था करवाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय भी करवा लिये थे। इस दिशा में राजस्व विभाग ने कार्यवाही शुरू करते हुये कलेक्टर, होशंगाबाद को प्रारंभिक निर्देश भी जारी कर दिये थे।

ऊपरोक्त ठोस प्रगति की जानकारी मिलने पर किसान मजदूर संगठन (ग्राम पलिया पिपरिया) के केन्द्रीय नेतृत्व ने समता संगठन (पिपरिया), किसान आदिवासी संगठन (केसला), किशोर भारती के कुछ पूर्व कार्यकर्ताओं एवं एकलव्य संस्था के कुछ सदस्यों के साथ मिलकर हम को एक संयुक्त पत्र द्वारा सूचना दी कि किसान मजदूर संगठन जमीन व जंगल के इस मसले को सरकार से हल करवाने में पूर्णतः सक्षम है, इसलिये अब उसे इस मुद्दे पर संस्था से किसी प्रकार की मदद नहीं चाहिये। पत्र के इस आशय की पुष्टि संस्था ने संगठन की एक खुली बैठक में जाकर की व उसके बाद शासन के साथ सफलतापूर्वक चल रही बातचीत को बीच में ही रोकना पड़ा। आज हम केवल यही उम्मीद कर सकते हैं कि ऊपरोक्त सभी संगठन और लोग स्वेच्छा से उठायी गयी इस सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा करेंगे ताकि ग्राम पलिया पिपरिया के हरिजन-आदिवासी व अन्य गरीब परिवारों का कोई नुकसान न हो।

आडिटिंग एवं चैरिटी कमिश्नर

कार्यकारिणी समिति ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष (1990-91) के हिसाब-किताब की भी विधिवत आडिटिंग करवाई है। इस वर्ष की आडिट रपट संबंधित चैरिटी कमिश्नर एवं आयकर कार्यालय को भेजी जा चुकी है जिसमें राज्य शासन को परिसर की अचल सम्पत्ति का कब्जा सौंपने एवं संस्था की चल संपत्ति को दान देकर या बिक्री करके अन्य संस्थाओं या व्यक्तियों को हस्तांतरित करने की सूचना भी शामिल है।

परिसर का भावी उपयोग

जिस परिसर का कब्जा राज्य शासन को जनवरी 1991 में सौंपा गया है उसे शिक्षा एवं कृषि संबंधी क्रियाकलापों हेतु विकसित किया गया था। उस पर कांक्रीट रिंग के बने नौ कुएं (स्थाई जल स्रोत वाले), कई भवन (आवास, हाल एवं गोदाम समेत), गोशाला, गोबर गैस प्लांट आदि खड़े हुये हैं। लगभग 100 एकड़ जमीन कंटीली तारों की पक्की फेंसिग से घिरी हुई है। परिसर पर संस्था द्वारा मूल्यवान फलोद्यान एवं सामाजिक वन विकसित किये गये हैं। हमारे द्वारा करवाये गये मूल्यांकन के अनुसार शासन को सौंपी गई सम्पत्ति का आज की कीमतों पर मूल्य 30.6 लाख रूपये आंका गया है (सामाजिक वन एवं फलोद्यान का मूल्य ही लगभग 10 लाख रूपये का है)। स्पष्ट है कि संस्था को इस बात की चिंता है कि शासन इस परिसर का क्या उपयोग करेगा। हम चाहते हैं कि परिसर का उपयोग **शासकीय तत्वावधान में** इस अंचल के विकास हेतु इस प्रकार हो कि इसका सर्वाधिक लाभ अंचल के कमजोर तबके को प्राथमिकता बतौर मिले। हम यह भी चाहते हैं कि किशोर भारती द्वारा किये गये शैक्षिक काम की लंबी एवं समृद्ध परंपरा को देखते हुये शासन परिसर का उपयोग शिक्षा हेतु ही करे। अतः परिसर वापस करने के संबंध में राज्य शासन को भेजे गये विभिन्न पत्रों में संस्था ने लिखा है कि यदि इस परिसर पर **शासकीय तत्वावधान में** एक ग्रामीण विश्वविद्यालय अथवा व्यावसायिक हाई स्कूल स्थापित किया जाता है तो उसके लिये संस्था हर प्रकार का समर्थन देने को तत्पर है। इसी तारतम्य में संस्था की ओर से पूरी नर्मदा घाटी के संदर्भ में आंचलिक विकास के उद्देश्य से काम करने वाले एक शोध, शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान का खाका तैयार करके राज्य शासन को प्रस्तुत किया गया जिसमें कालांतर में इस संस्थान को ग्रामीण विश्वविद्यालय में विकसित करने का प्रस्ताव भी शामिल था। इन प्रस्तावों के समर्थन में अनेक स्थानीय नागरिकों ने शासन को ज्ञापन भी दिये। संस्था के प्रतिनिधियों ने भी कई बार मुख्यमंत्री, मंत्रीपरिषद के कई वरिष्ठ सदस्यों एवं स्थानीय सांसद व विधायकों से मिलकर इन प्रस्तावों से पूरे अंचल को होने वाले लाभों को

रेखांकित किया और क्रियान्वयन हेतु ठोस सुझाव भी रखे। इन प्रयासों के बावजूद राज्य शासन की इस संदर्भ में निष्क्रियता और मौन हमारी समझ के परे हैं।

आगे की बात

संस्था ने सन् 1972 से लेकर सन् 1989 तक शैक्षिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकास के अभिनव प्रयोग निरंतर किये, यह आप भलीभांति जानते ही हैं। सीमेंट कांक्रीट रिंगों से बने एक हजार से अधिक कुएं आज इस क्षेत्र की हजारों एकड़ जमीन को सींच रहे हैं जिसके फलस्वरूप इस जमीन में एक फसल की जगह दो या तीन फसलें ली जा रही हैं। संस्था के गोसंवर्धन कार्यक्रम के कारण ही आज इस इलाके में सैकड़ों दूधारू संकर गायें देखी जा सकती हैं। होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में कई नये आयाम स्थापित करके देश भर में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इस कार्यक्रम की बुनियाद पर ही 'एकलव्य' संस्था का 1982-83 में गठन किया गया जिसकी स्थापना में किशोर भारती ने केन्द्रीय भूमिका निभायी। संस्था के द्वारा चलाये गये सामाजिक चेतना जागृत करने के अनेक कार्यक्रमों का स्पष्ट प्रभाव आज पिपरिया व बनखेड़ी क्षेत्र में दिख रहा है, हालांकि कुछ कारणों से नेतृत्व की समझ एवं राजनैतिक दिशा की दृष्टि से इस उभरती हुई चेतना का मूल्यांकन करना जरूरी लगता है। संस्था द्वारा चलाये गये पुस्तकालय (विशेषकर सचल पुस्तकालय) व अन्य औपचारिकेतर शिक्षण कार्यक्रमों (उदाहरणतः युवा प्रशिक्षण, जरूरी दवाई सुविधा, प्रजनन जागरूकता, महिला चेतना, बाल गतिविधियों आदि) ने सामाजिक परिवर्तन की दिशा में नये मील पत्थरों का काम किया है। परंतु कुल मिलाकर इस प्रक्रिया का समाज पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है और उससे स्वैच्छिक पहलकदमी को कैसी दिशा मिलती है, यह एक गहरे शोध का विषय होना चाहिये। संस्था निकट भविष्य में एक वस्तुनिष्ठ शोध कार्यक्रम आयोजित करने की पहल करेगी। हमारा इरादा है कि हम अपने अनुभवों को समाज के सामने इस प्रकार पेश करें कि स्वैच्छिक काम की संभावनायें, सीमायें एवं उसकी राजनैतिक भूमिका स्पष्ट रूप से उजागर हो सके।

कार्यकारिणी समिति ने यह भी तय किया है कि लगभग एक वर्ष के लिये संस्था सुप्तावस्था में रहेगी। उसके बाद तय किया जायेगा कि संस्था के पास जो संसाधन और सुविधायें अभी भी उपलब्ध हैं, उनका किस प्रकार उपयोग किया जाये।

उपसंहार

अट्ठारह वर्षों के काम को समेटना और अपनी कर्मभूमि से संस्था

को बाहर निकालना परेशानियों व पीड़ाओं के बगैर संभव हुआ हो, यह दावा तो हम नहीं कर सकते। समिति के इस निर्णय के बारे में सहमति व मतभेदों की गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। एक खुली बहस चलनी ही चाहिये। किंतु एक बात पर हम अवश्य जोर देना चाहेंगे कि किशोर भारती सामाजिक परिवर्तन की दिशा में एक प्रयोग था जिसको हमने तब तक चलाया जब तक हमें उसमें प्रयोग की गुंजाईश दिखी। परंतु इसके पहले कि प्रयोग **दुकानदारी या मठ** बन जाता (चाहे यह हमारी कमजोरियों के कारण ही क्यों न हो), हमने प्रयोग को बंद करने का निर्णय लिया और निर्णय को पक्के इरादे के साथ क्रियान्वित भी किया। यह तो भविष्य ही बतायेगा कि यह निर्णय कहां तक सही था।

किशोर भारती जैसी बहुआयामी एवं जिले स्तर पर सक्रिय संस्था का स्वेच्छा से अपने को समेट लेना भारत के स्वयंसेवी कार्यक्षेत्र के इतिहास में निःसंदेह एक अनूठी घटना है। अपनी संस्था, सम्पत्ति और कार्यक्रमों से मोह तोड़कर इस प्रकार का निर्णायक कदम उठाना किसी भी मायने में आसान काम न था। कतिपय निहित स्वार्थों एवं दिग्भ्रमित तत्वों द्वारा इस प्रक्रिया में जो अवरोध पैदा किये गये, वे अनपेक्षित नहीं थे और उनके कारण इस निर्णय के औचित्य में हमारा विश्वास और भी अधिक गहरा हुआ। आमतौर पर स्वैच्छिक संस्थाओं की यह नियति रही है कि अपने शिखर पर पहुंचने के बाद उनके नैतिक बल एवं गुणवत्ता में गिरावट आती है। उस स्थिति में संस्था में उपस्थित स्वार्थी तत्व मठाधीश बन जाते हैं। इस संदर्भ में किशोर भारती द्वारा समय रहते अपने को समेट लेने का निर्णय अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं के लिये अध्ययन का विषय होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। यदि अन्य समानधर्मी संस्थायें भी सामाजिक परिवर्तन में अपनी संभावनाओं एवं सीमाओं को वस्तुनिष्ठ ढंग से पहचान सकें तो स्वैच्छिक कार्यक्षेत्र की राजनैतिक भूमिका का वैज्ञानिक प्रतिपादन संभव हो सकेगा।

इस लंबी अवधि में आप सबने संस्था को आगे बढ़ाने के लिये जो भी सहयोग दिया वह हमारे लिये अमूल्य धरोहर है। इस संदर्भ में एक सार्वजनिक संस्था का सबसे बड़ा दायित्व यही बनता है कि वह अपने अनुभवों का विवरण व विश्लेषण देश की मौजूदा हालातों के परिप्रेक्ष्य में सबके सामने ईमानदारी एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से प्रस्तुत करे। इस दायित्व को पूरा करने के लिये हम संकल्पशील हैं।

कार्यकारिणी समिति

(1991-92)

नाम	व्यवसाय	पता	पद
1. सुश्री अनुसूइया दत्त	अधिवक्ता	4, मिस्त्री कोर्ट दिनशा वाच्छा रोड, चर्च गेट, बंबई 400020	सदस्य
2. श्री ज्योतिभाई देसाई	शिक्षक / समाजकर्मी	गांधी विद्यापीठ, वेडछी, जिला सूरत, गुजरात 394640	सदस्य
3. डॉ. वासू नोरी	स्ट्रक्चरल इंजीनियर	13, वसंत महल, सी रोड, चर्चगेट, बंबई 400020	सदस्य
4. श्री श्याम बोहरे	शिक्षक / प्रशिक्षक	ई-12, प्रशासन अकादमी, अरेरा कालोनी, भोपाल 462016	कोषाध्यक्ष
5. श्री सुभाष शाह	अधिवक्ता	सी- 83 वीनस अपार्टमेंट्स, आर. जी. थडाणी मार्ग, वर्ली, बंबई 400018	अध्यक्ष
6. डॉ. अनिल सद्गोपाल	वैज्ञानिक / शिक्षाविद्	ई-13, कालिंदी, नई दिल्ली 110065	सदस्य
7. श्री राजेन्द्र हरदेनिया	पत्रकार / व्यापार	अर्चना कृषि केन्द्र, शोभापुर रोड, पिपरिया, म.प्र. 461775	सचिव
8. डॉ. विजय वर्मा	वैज्ञानिक / शिक्षक	भौतिक शास्त्र विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली 110007	सदस्य
9. श्री बलदेव सिद्धू	परिवहन / फायनेंसिंग	बी- 2/12 माडल टाऊन, दिल्ली 110009	विशेष आमंत्रित
10. श्री सुरेश सूरतवाला	समाजकर्मी	34, नूतन लक्ष्मी सोसायटी, 10 वीं रोड, जुहु स्कीम, बंबई 400049	विशेष आमंत्रित